**न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।**
**जमानत आवेदन संख्या–75/2026**
**शिवहर थाना कांड संख्या–86/2022.**
**सरकार बनाम् सुनील साह**
**अंतर्गत धारा–341, 323, 307, 379, 504/34 IPC.**

CNR No. BRSO01001256-2026.

सुनील साह, पिता–भोला साह, उम्र करीब–35 वर्ष,
साकिन–माली पोखरभिंडा, थाना+जिला–शिवहर..........आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार..........विपक्षी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता –श्री धीरज कुमार।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

**उपस्थितिः दीपक कुमार,**
**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
**शिवहर।**
**20.05.2026**

---

दिनांक–20.05.2026 **आदेश**

काराधीन अभियुक्त–सुनील साह, जिन्हें शिवहर थाना कांड संख्या–86/2022, अंतर्गत धारा–**341, 323, 307, 379, 504/34 IPC.** के अपराध के संदर्भ में दिनांक–07.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज कुमार के द्वारा संचालित किया गया, जिस पर उनको तथा विद्वान लोक अभियोजक, श्री सुरेश राय को सुना गया।

अभियोजन का मामला फर्दबयान पर आधारित प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि– सूचक सुरेश साह को दिनांक–10.03.2022 को सुबह आठ बजे सूचक की बहन रमावति देवी पति–सुनील साह, जिसकी शादी चार साल पहले किया था, के यहाँ से सूचना मिली कि उसकी बहन को उसकी सास रामकली देवी पति सुनील साह, ससुर–भोला साह, ननद–रीता देवी, सभी मिलकर पहले मारपीट किया तथा बाद में सास ने मिठाई में जहर मिलाकर खिला दिया और जब मुँह से झाग निकलने लगा तो उसके ससुराल वाले उसे अस्पताल ले गये। सूचना पाकर सूचक, उसकी बहन प्रभावती कुमारी, भाई नरेश साह तथा बड़ी बहन अमिता देवी बहन के घर पहुँचे और अपनी बहन से मिलने को कहा तो बहन के ससुराल वालों के द्वारा मिलने से मना कर दिया तथा बताया कि तुम्हारी बहन नहीं है, वह अस्पताल में है, लेकिन अस्पताल का नाम नहीं बताया। फिर भी सूचक के द्वारा बहन के बारे में पूछने पर सुनील साह (आवेदक) सूचक को बॉस के फट्ठा से पैर पर मारा तथा मुन्ना साह लोहा के रड से सिर पर मारा। भोला साह, रामकली देवी, सूचक की बहन प्रभावती देवी को बाल पकड़कर पटक दिया। सकल साह, राजेश साह ने भी लाठी और रड से सूचक के भाई नरेश साह को मारा तथा राजेश साह ने जान मारने की नियत से सूचक की बहन प्रभावती देवी को सिर पर मारा, जिससे उसका सिर फट गया। रीता देवी, सूचक की बहन अमिता देवी को लाठी से हाथ पर मारी, जिससे उसका हाथ फूल गया। मुन्ना साह सूचक के गले से सोने का चेन तथा सुनील साह (आवेदक) पॉच हजार रुपया छीन लिया। इसके बाद सभी किसी तरह वहॉ से भागकर शिवहर थाना पहुँचे, जहाँ से शिवहर थाना के द्वारा सभी को ईलाज हेतु सरोजा सीताराम सदरअस्पताल ले जाया गया। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्त–सुनील साह के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक का अग्रिम जमानत पूर्व में श्रीमान् के न्यायालय के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–153/2022 में दिनांक–18.10.2022 को पारित आदेश से खारिज किये जाने के बाद आवेदक एवं अन्य की ओर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अग्रिम जमानत क्रि0मि0नं0–45729/2023 दाखिल किया गया था, जिसे सुनवाई के उपरांत दिनांक–21.09.2023 को पारित आदेश के द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करते हुए छः सप्ताह के अन्दर सम्बद्व विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण कर बंध–पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया था, लेकिन सही

लगातार/–

**न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।**
**जमानत आवेदन संख्या–75/2026**
**शिवहर थाना कांड संख्या–86/2022.**
**सरकार बनाम् सुनील साह**
**अंतर्गत धारा–341, 323, 307, 379, 504/34 IPC.**
**CNR No. BRSO01001256-2026.**

**दिनांक–20.05.2026** **–2–**

तथ्य के अभाव में आवेदक माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त पारित आदेश का पालन नहीं कर सका। इसलिए सर्वप्रथम आवेदक के द्वारा नियमित जमानत आवेदन विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में दाखिल किया गया, जो सुनवाई के पश्चात् अस्वीकृत किये जाने के बाद आवेदक की ओर से यह जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है। आवेदक का पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। सूचक एवं आवेदक के बीच में आपस में खास साला–बहनोई का रिश्ता है। आवेदक पर मात्र सूचक को पैर पर बॉस के फट्ठा से मारने एवं पॉच हजार रुपया छीन लेने का आरोप है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–07.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक सक्षम जमानत बंध पत्र देने को तैयार है तथा उसके पलायन की कोई संभावना नही है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक अभियुक्त के जमानत का विरोध करते हैं, परन्तु यह कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त को पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी और आवेदक अभियुक्त के विरूद्व आरोप–पत्र समर्पित है।

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं मूल अभिलेख तथा मूल अभिलेख पर उपलब्ध वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त–सुनील साह पर सूचक को, जो रिश्ते में दोनों आपस में खास साला–बहनोई लगते हैं, के पैर पर बॉस के फट्टा से मारने एवं पॉच हजार रुपया छीन लेने की बात कही जाती है। मूल अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त सहित चार अन्य सहअभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रि0मि0नं0–45729/2023 में दिनांक–21.09.2023 को पारित आदेश के द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा आदेश पारित होने की तिथि से छः सप्ताह के अन्दर सम्बद्व विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण कर जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर प्रदान की गई थी, लेकिन आवेदक के द्वारा सही तथ्य के अभाव में उक्त आदेश का पालन नहीं किया जा सका। मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्व आरोप–पत्र संख्या–02/2026, दिनांक–12.04.2026, अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 342, 341, 323, 307, 504, 506 भा0द0वि0 में न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है एवं वाद अभी संज्ञान हेतु लंबित है। वाद दैनिकी की किसी भी कंडिका पर आवेदक अभियुक्त के अपराधिक इतिहास के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं है, साथ ही आवेदक अभियुक्त के द्वारा दाखिल जमानत आवेदन के कंडिका–03. में भी वर्णित तथ्य के अनुसार आवेदक का पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–07.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्त लम्बी कारावधि एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त–सुनील साह को मो0–10,000/–(दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर अंतर्गत धारा–480(3) बी0एन0एस0एस0 के शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है कि आवेदक अभियुक्त आरोप गठन होने तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे एवं उचित पैरवी करेंगे।

**लेखापित एवं शुद्विकृत**

**ह0/–**

**प्रधान सत्र न्यायाधीश**
**शिवहर।**
**20.05.2026**